



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032023-244700
CG-DL-E-25032023-244700

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]
No. 179]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023

सा.का.नि. 221(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1(च) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग) की दिनांक 16 अगस्त, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 629 (ई) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को बी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण बोर्ड में महापत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	नियुक्त सदस्य का नाम
1.	श्री एस. बालकृष्णन, अध्यक्ष, तूतीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट डेमोक्रेटिक स्टॉफ यूनियन (सीआईटीयू), तूतीकोरीन
2.	श्री बी. सत्यनारायणन, महा सचिव, तूतीकोरीन पोर्ट मरिनर्स एंड जनरल स्टॉफ यूनियन (एचएमएस), तूतीकोरीन

2. बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अध्वधीन होगी। यह नियुक्ति, सदस्यता की वैधता की तारीख तक, अथवा सदस्यों की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने तक, अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वैध होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम]

सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PHRD DIVISION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2023

G.S.R. 221(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 1(f) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) No. G.S.R. 629(E) dated 16th August, 2022, the Central Government hereby appoints the following persons on the Board of V.O. Chidambaranar Port Authority as Members representing the interests of the employees of the Major Port Authority:-

Sl. No.	Name of Member appointed
1.	Shri S. Balakrishnan, President, Tuticorin Port Trust Democratic Staff Union (CITU), Tuticorin
2.	Shri V. Sathyanarayanan, General Secretary, Tuticorin Port Mariners and General Staff Union (HMS), Tuticorin.

2. The Appointment of Members of the Board shall be subject to the provisions of the Major Port Authorities Act, 2021. The appointment is valid till the date of validity of check-off, or until the attainment of age of superannuation of the Members, or till further orders, whichever is earliest.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour]

SUSHIL KUMAR SINGH, Jt. Secy.